**उत्तर प्रदेश शासन**

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1**

**संख्या-207 /2018 / 2541 /71-1-2018-जी0-195/2015टी0सी0**

**लखनऊः दिनांक : 18 जुलाई, 2018**

**कार्यालय-ज्ञाप**

राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन, बॉदा, अम्बेडकरनगर एवं आजमगढ. में विभिन्न विशिष्टताओं में रिक्त चिकित्सा शिक्षको के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2018/829, दिनांक 02-07-2018 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल 11 अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-4661/71-1-2018-जी0-63/2008, दिनांक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-2013-जी0-11/2011, दिनांक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी0-63/2008, दिनांक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/ तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले चिकित्सा शिक्षक:-

1- ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगे।

2- प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे

3- मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।

4- प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगें।

5- निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।

6- स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।

7- संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं के हकदार नहीं होगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए बोनस पायेंगे।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 22-01-2015 में प्राविधानित नियत वेतन देय होगा।

4- संविदा पर तैनात किये गये अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, उनके शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों/अर्हता के दस्तावेजों का सत्यापन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ/संबंधित प्रधानाचार्य अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव।

**संख्या-207/2018/2541(1) 71-1-2018 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ., अम्बेडकरनगर, जालौन एवं बॉदा ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ., अम्बेडकरनगर, जालौन एवं बॉदा ।
5- कोषाधिकारी, आजमगढ., अम्बेडकरनगर, जालौन एवं बॉदा ।
6- संबंधित अभ्यर्थी/चिकित्सक।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार )
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

# कार्यालय ज्ञाप संख्या-207/2018/2541/71-1-2018- जी0-195/2015टी0सी0
# दिनांक 18 जुलाई, 2018 का संलग्नक:-

| क्र0 सं0 | विशिष्टता का नाम एवं पदनाम | अभ्यर्थी का नाम एवं पता | श्रेणी | नियुक्ति हेतु प्रस्तावित मेडिकल कालेज का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पीडियाट्रिक्स (सह-आचार्य) | डा0 आनन्द शुक्ला, सहायक आचार्य, पीडियाट्रिक्स, मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर। | सामान्य | मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर |
| 2. | आब्स एण्ड गायनी (सह-आचार्य) | डा0 शालिनी चौहान, एम0डब्ल्यू0ओ, सहायक आचार्य, आब्स एण्ड गायनी विभाग, मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर। | सामान्य | मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर |
| 3. | सामान्य मेडिसिन (सह-आचार्य) | डा0 राजेश कुमार आर्या द्वारा प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जालौन। | सामान्य | मेडिकल कालेज, जालौन |
| 4. | सामान्य मेडिसिन (प्रवक्ता) | डा0 ज्योति गुप्ता द्वारा प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जालौन। | सामान्य | मेडिकल कालेज, जालौन |
| 5. | बायोकेमिस्ट्री (आचार्य) | डा0 जिलेदार अली पुत्र श्री स्व0 हलीम अली पता-501 अमीन इन्कलेव मुत्तवीपुर बी0 के0 टी0, लखनऊ। | सामान्य | मेडिकल कालेज, बॉदा |
| 6. | सामान्य मेडिसिन (प्रवक्ता) | डा0 वी0 के0 गुप्ता पुत्र श्री रघुवंशी लाल गुप्ता पता-682, सिविल लाईन्स, इटावा। | सामान्य | मेडिकल कालेज, बॉदा |
| 7. | पैथालोजी विभाग (प्रवक्ता) | डा0 अदिती गुप्ता पुत्री श्री वी0 के0 गुप्ता पता-682, सिविल लाईन्स, इटावा। | सामान्य | मेडिकल कालेज, बॉदा |
| 8. | आपथलमोलोजी (प्रवक्ता) | डा0 पायल गर्ग पुत्री श्री नरेश चन्द गर्ग वीरांगना नगर, कानपुर रोड़, झॉसी । | सामान्य | मेडिकल कालेज, बॉदा |
| 9. | फार्माकोलोजी (आचार्य) | डा0 बी0 एल0 पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, निवासी रतनपुर, जिला जौनपुर। | सामान्य | मेडिकल कालेज, बॉदा |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10. | पैथालोजी (सह-आचार्य) | डा0 मंगलेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री आद्य प्रसाद पता-डाक्टर इन्क्लेव, रासीनगर, बसारतपुर, जिला गोरखपुर। | सामान्य | मेडिकल कालेज, आजमगढ़ |
| 11. | पीडियाट्रिक्स (सह-आचार्य) | डा0 फैजुल रहमान पुत्र श्री नजीर अहमद पता- 99/1 दशाई पोखरा, जहागीरबाद श्रीपैलेस के सामनें मऊनाथ भंजन, मऊ। | सामान्य | मेडिकल कालेज, आजमगढ़ |

(अनिल कुमार )
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।